

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर (राज.)

निवासीन अधिकारी:- श्री कपिल कुमार कोठारी, आर.ए.एस.  
करण संख्या:- 28/2023

तारीख दायर:-01.06.2023  
तारीख निर्णय:-25.03.2025

1. श्री काला पुत्र अमरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।

.....प्रार्थी

**बनाम**

1. श्री हीरालाल पिता केशा गरासिया निवासी कोट/काडा तहसील झाडोल।
2. श्री लालुराम पिता रामा गरासिया निवासी कोट/काडा तहसील झाडोल।
3. श्री डायला पिता वक्ता गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
4. श्री हकरा पिता गुला गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
5. श्री सैलाराम पिता भैरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
6. श्री थावरा पिता भैरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
7. श्री होमा पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
8. श्री नका पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
9. श्री देवा पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
10. श्री मुर्जन पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
11. श्री सुन्दर पिता रामा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
12. श्री किशन पिता भैरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।
13. श्री चन्दन पिता भैरा गरासिया निवासी कोट तहसील झाडोल।

.....अप्रार्थीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लेण्ड रे. एक्ट.**

उपस्थित- प्रार्थीगण की ओर से- श्री प्रवीण कुमार मेहता

अप्रार्थी की ओर से- भज्जालाल पटेल

**निर्णय**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा कोट पटवार हल्का आंजरोली खास तहसील फलासिया में आराजी नम्बर 239 रकबा 0.0300, 240 रकबा 0.2800, 3 रकबा 0.0400, 826/2 रकबा 0.1900, 827/171 रकबा 0.0500, 828/497 रकबा 0.0300 किता 06 कुल रकबा 0.6200 है0 भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पास विपक्षी की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है। विपक्षी आये दिन प्रार्थी को परेशान करते रहते है तथा भूमि में जबरन प्रवेश कर दखलंदाजी करते है व घास लकड़ी इत्यादि को ले जाते है। प्रार्थी व विपक्षी की भूमि आस पास होने से आये दिन पाली डोली को लेकर सीमांकन बाबत विवाद होता रहता है। विपक्षी आये दिन दिन प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करते रहते है। भविष्य में सीमा को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही हो इसलिये प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढी करवाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की मौजा कोट पटवार हल्का आंजरोली खास तहसील फलासिया की

उपखण्ड अधिकारी



आराजी नम्बर 239 रकबा 0.0300, 240 रकबा 0.2800, 3 रकबा 0.0400, 826/2 रकबा 0.1900, 827/171 रकबा 0.0500, 828/497 रकबा 0.0300 किता 06 कुल रकबा 0.6200 है0 भूमि का निर्माण करवाया जाकर मौके पर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन मय कल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये। अप्रार्थीगण द्वारा मौखिक रूप से पत्थरगढी किये जाने की सहमति जाहिर की। तत्पश्चात प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने प्रार्थना पत्र अंकित किये गये है।

हमने विद्वान प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के पास विपक्षी की भूमि स्थित होने से आये दिन सीमा का विवाद होता रहता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण को भी पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ती नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं कि मौजा कोट पटवार हल्का आंजरोली खास तहसील फलासिया की आराजी नम्बर 239 रकबा 0.0300, 240 रकबा 0.2800, 3 रकबा 0.0400, 826/2 रकबा 0.1900, 827/171 रकबा 0.0500, 828/497 रकबा 0.0300 किता 06 कुल रकबा 0.6200 है0 भूमि की मौके पर कब्जे सम्बन्धी विवाद नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षकारानों की उपस्थिति में पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार फलासिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 2000/- रुपये प्रार्थी पक्ष अदा करेगा। पालना हेतु तहसीलदार फलासिया को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार कोठारी)  
उपस्थित अधिकारी  
झाड़ोल, जिला उदयपुर